कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2026–27 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत जिले में संचालित निजी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित आदेश निर्गत किए जाते हैं–

1. अपडेटेड प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों की सूची– वैशाली जिला अंतर्गत वैसे सभी निजी प्रारंभिक/मध्य विद्यालय जिन्हें विभाग द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की गई है, उनकी आधिकारिक सूची जिला शिक्षा कार्यालय के website-www.deovaishali.in पर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी विद्यालय प्रधान इस सूची का अवलोकन सुनिश्चित करें।
2. प्रस्वीकृति संख्या अनिवार्य– विद्यालय का प्रस्वीकृति संख्या एवं विद्यालय का पूरा पता तथा संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रिंट होना चाहिए।
3. स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मान्यता– जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त सूची में अंकित प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र को पूर्णतः मान्य किया जाए।
4. नामांकन हेतु निर्देश– प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों से आने वाले छात्र–छात्राओं का नामांकन लेने में किसी भी प्रकार की आनाकानी नहीं की जाएगी। यदि छात्र के पास वैध TC और उस पर पूर्व में निर्देशित UDISE PEN संख्या (अथवा PEN नही होने की स्थिति में पूर्व प्रधानाध्यापक का प्रतिवेदन) उपलब्ध है, तो उनका नामांकन तत्काल सुनिश्चित किया जाए। प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र को अवैध बताकर नामांकन से वंचित करना विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी।
5. अभिलेखों का संधारण– नामांकन लेने वाले विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित निजी विद्यालय की प्रस्वीकृति संबंधी जानकारी जिला कार्यालय के website- www.deovaishali.in पर मिलान कर ली गई है।

Sd/- 6.4.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
06.4.26

ज्ञापांकः–701 हाजीपुर दिनांकः–06/04/26

प्रतिलिपिः– सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक /प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा,वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 6.4.26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
06.4.26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छात्र-छात्राओं के नामांकन एवं UDISE पोर्टल पर शत-प्रतिशत डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने हेतु जिले के सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु आदेशित किया जाता हैः-

1. अनिवार्य PEN अंकन- विद्यालय द्वारा निर्गत किए जाने वाले प्रत्येक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर संबंधित छात्र/छात्रा का UDISE- PEN अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
2. डाटा प्रविष्टि नही होने की स्थिति में प्रतिवेदन- यदि किसी छात्र की प्रविष्टि पूर्व के विद्यालय द्वारा पोर्टल पर नहीं की गई है, तो संबंधित प्रधानाध्यापक स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ एक लिखित (कारण सहित) प्रतिवेदन छात्र को उपलब्ध कराएंगे। इसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि किन कारणों से छात्र का डाटा प्रविष्ट नहीं किया जा सका।
3. नवीन विद्यालय की जिम्मेदारी- नया विद्यालय (जहाँ छात्र नामांकन ले रहा है), पूर्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए तत्काल नामांकन सुनिश्चित करेगा। नामांकन लेने में PEN संख्या के अभाव में किसी भी छात्र को वंचित करना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।
4. पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु प्रक्रिया- शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए विभाग द्वारा प्रविष्टि UDISE पोर्टल पर प्रारंभ होने के उपरांत नव-नामांकित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, पूर्व विद्यालय का स्पष्टीकरण एवं विभाग द्वारा निर्धारित UDISE पोर्टल प्रविष्टि प्रारुप को संलग्न करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे, ताकि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए संबंधित छात्र का नाम UDISE पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सके।
5. प्रखंड कार्यालय की भूमिका- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके स्तर से ऐसे सभी मामलों का संकलन कर ससमय UDISE पोर्टल पर प्रविष्टि प्रखंड Login से करना सुनिश्चित करेंगे।

6.4.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

06.4.26.

ज्ञापांकः-702 हाजीपुर दिनांकः-06/04/26

प्रतिलिपिः- सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक /प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,प्रारंभिक एवं समग्र शिक्षा,वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.4.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

06.4.26